

डाक-व्यय की पूर्व-अदियगी डाक
द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
पूर्व भुगलन भोपाल/06-08.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 मार्च 2007—फाल्गुन 10, शक 1928

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2007

क्र. एफ-22-83-2005-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 [उन्नीस सौ अठ्ठासो का. स. (59)] की धारा 88 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, द्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 12 सितम्बर 2006 के पृष्ठ 865 से 866 (22) तक मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र सरकार के मध्य पारस्परिक परिवहन करार का प्रारंभिक प्रकाशन कर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि उक्त सूचना प्रकाशित होने के दिनांक (12-9-2006) से 30 दिवस तक निर्धारित की गई थी। आपत्तियों पर सुनवाई हेतु दिनांक 18-10-2006 में विचार किया गया। विचारोपरंत आपत्तियां निरस्त की गईं।

अतः अब राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों के मध्य पारस्परिक परिवहन करार को अंतिम प्रकाशन निम्नानुसार किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राय, प्रमुख सचिव.

करार

यह करार आज दिनांक 1 फरवरी 2007 को मध्यप्रदेश के राज्य (जिन्हें आगे "मध्यप्रदेश सरकार" कहा गया है और जिसमें पदासीन उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल (जिन्हें आगे "महाराष्ट्र सरकार" कहा गया है और जिसमें उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है।

चूंकि, प्रदेश में त्वरित आर्थिक विकास तथा मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य की समीपस्थता को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि उक्त दोनों राज्यों के बीच यात्रियों और माल के लम्बी दूरी की अन्तर्राष्ट्रिय परिवहन को प्रोत्साहित किया

जाये और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाये, इसलिए उक्त दोनों पक्षों को एक पारस्परिक परिवहन करार जो 15 जनवरी 1988 से प्रवृत्त है, निष्पादित किया गया था।

और, चूंकि, पूर्वोक्त परिस्थितियां अभी भी बनी हुई हैं और उसके दोनों पक्ष आपसी करार द्वारा, उक्त करार के निर्वन्धन तथा शर्तों को उपांतरित करने और विद्यमान करार का आंशिक उपांतरण करते हुए जैसा कि इसमें अंतर्विष्ट है एक नया करार करने के लिये सहमत हैं।

अब उक्त पक्षों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है:—

यह कि, पारस्परिक परिवहन करार दिनांक 1 मार्च 2007 से प्रवृत्त होगा तथा उस समय तक विधिमाम्य रहेगा, जब तक कि दोनों राज्यों के बीच एक नया करार या उभेका पुनर्विलोकन न हो जाये या दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा छः माह की सूचना देकर विद्यमान करार को विखण्डित न कर दिया जाये।

इस करार के प्रवृत्त होने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य के बीच सड़क परिवहन के मामले में किये गये समस्त पूर्ववर्ती द्विपक्षी करार अतिरिक्त हो जायेंगे।

1. **कराधान.**—(क) मूल अनुज्ञापत्रों से आच्छादित प्रक्रम वाहन या मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1-घ) के अधीन मूल अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण लंबित रहने के दौरान जारी किये गये अस्थायी अनुज्ञापत्रों पर करार पाये गये कोटे के भीतर और राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के संबंध में पारस्परिक करारकर्ता राज्य में मोटरयान कर एकल बिन्दु कर के आधार पर देय होगा। महाराष्ट्र राज्य में बीम्बे मोटर व्हीकल (टेक्सेशन ऑफ पेसेन्जर) एक्ट 1958 के अनुसार कर देय होगा जो वाहनों की बैटक क्षमता के 70 प्रतिशत लोड फैक्टर (भारत्व) से कम नहीं होगा।

(ख) मालयानों के मूल अनुज्ञापत्रों पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1-घ) के अधीन मूल अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण लंबित रहने के दौरान जारी किये गये अस्थायी अनुज्ञापत्रों पर करार पाये गये कोटे के भीतर पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर को एकल कर प्रणाली के आधार पर अन्य राज्य में निम्नानुसार मुक्त रहेंगे:—

- (एक) यदि मालयान मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य के मोटरयान कर से मुक्त रहेगा, किन्तु मालकर एक वर्ष की कालावधि के लिये अग्रिम संदाय करने का दायी होगा और प्रतिहस्ताक्षर उसी कालावधि के लिये वैध रहेगा।
- (दो) यदि मालयान महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है तो महाराष्ट्र राज्य के मोटरयान कर की सीमा तक मध्यप्रदेश में मोटरयान कर संदेत से छूट प्राप्त होगी और मोटरयान को रोप रशि (अर्थात् मोटरयान कर रियायती छूट की रशि) एक वर्ष की कालावधि के लिये अग्रिम संदाय को जावेगी और प्रतिहस्ताक्षर केवल उस कालावधि के लिये वैध होगा (यहां इसके परचात् उपरोक्त रियायत छूट "पारस्परिक कर रियायत" कहलायेगी)

स्पष्टीकरण.—इस करार के प्रयोजन के लिये.—(1) सामान्य प्रक्रम वाहन परमिट, जो सम्यकरूपेण प्रतिहस्ताक्षरित हैं, के लिये "एकल बिन्दु कर प्रणाली" का अभिप्राय:—

- (एक) मध्यप्रदेश की प्रक्रम वाहनों के संबंध में गृह राज्य के मोटरयान कर भुगतान का दायित्व किन्तु महाराष्ट्र राज्य का मोटरयान कर (रोड टैक्स) से छूट रहेगी परन्तु महाराष्ट्र राज्य के अन्य कर भुगतान का दायी होगा।
 - (दो) महाराष्ट्र राज्य की प्रक्रम वाहन के संबंध में गृह राज्य के संबंध में गृह राज्य के मोटरयान कर के साथ जिसमें मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में विहित किया गया है, मध्यप्रदेश में रियायती दर से देय मोटरयान कर के साथ भुगतान का दायी होगी।
- (2) किसी मोटरयान के संबंध में शब्द "द्विबिन्दु कर आधार" से अभिप्रेत है, दोनों राज्यों में मोटरयान कर (टैक्स) को सम्मिलित करते हुए सभी करों के संदाय का दायित्व है।

2. करों के संदाय का ढंग.—(क) अनुज्ञापत्र जारी करने वाला प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अस्थायी अनुज्ञापत्र या विशेष अनुज्ञापत्र को जारी करने के पूर्व पारस्परिक करारकर्ता राज्य के समस्त कर अग्रिम रूप से ग्वालियर/मुम्बई के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम पर लिये गये डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं, यद्यपि दोनों में कोई भी राज्य बैंक-पोस्टों पर अपने करों की वसूली की अपेक्षा कर सकेगा, यह डिमाण्ड ड्राफ्ट ग्वालियर/मुम्बई पर देय होंगे, जैसा कि अपेक्षित हो, दोनों ही राज्य अपने राज्य शासन द्वारा अधिकृत किये गये किसी भी बैंक को ऐसे डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों से उस राज्य के लिये जारी किये गये परिमितों के विरुद्ध सीधे संकलन किये जाने के लिये अधिकृत कर सकेंगे.

(ख) प्रत्येक डिमाण्ड ड्राफ्ट का क्रमांक और रकम जिसके माध्यम से प्रचालक द्वारा अन्य राज्यों के करों को प्रेषित किया जा चुका है, अस्थायी अनुज्ञापत्रों को मुख पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित किया जावेगा.

(ग) समस्त अस्थायी अनुज्ञापत्रों तथा विशेष अनुज्ञापत्रों की प्रतियां भारतीय स्टेट बैंक के नाम लिये गये डिमाण्ड ड्राफ्ट अन्य सुसंगत जानकारी के साथ निम्नलिखित निर्देशन/प्रोफार्मा में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को मासिक अंतराल पर भेजी जावेगी. महाराष्ट्र राज्य के संबंध में ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्रों/विशेष अनुज्ञापत्रों की सूचियां डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ मासिक अंतराल पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी, महाराष्ट्र, मुम्बई को भेजी जावेगी.

| स. क्र. | यान के स्वामी का नाम तथा पता | अनुज्ञा-पत्र क्रमांक तथा यान क्रमांक | यान का सकल यान भार तथा यान की बैठक क्षमता | अनुज्ञा-पत्र की वैधता तारीख | बैंक एवं ब्रान्च का नाम, बैंक ड्राफ्ट की संख्या और धनराशि |
|---------|------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | से (5) तक (6) | (7) |

3. मालयान (मूल अनुज्ञा-पत्र).—(क) यह करार पाया गया कि प्रत्येक राज्य से संबंधित कुल 12000 (बारह हजार) मालयानों के लिये संबंधित राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा एकल बिन्दु कर आधार पर अनुज्ञापत्र प्रतिहस्ताक्षरित किये जावेंगे. ऐसे प्रतिहस्ताक्षर प्रत्येक राज्य के समस्त राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के लिये मंजूर किये जायेंगे, जिससे कि यान उस क्षेत्र के समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सके.

(ख) प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों के अधीन प्रचलित होने वाले मालयानों का उपयोग अनन्यतः पारस्परिक करारकर्ता राज्य के राज्य क्षेत्राधिकार के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच माल को चढ़ाने और उतारने के लिये नहीं किया जावेगा, अर्थात् ऐसे मामलों में यानों को अनन्यतः प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले राज्य के राज्य क्षेत्राधिकार के भीतर माल के परिवहन का कोई कारबार करने से प्रति सिद्ध किया जायेगा और वे ऐसे शर्तों के अधीन होगा जैसी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 तथा 84 के अधीन संबंधित परिवहन प्राधिकारी अधिरोपित करना उचित समझें.

(ग) आठ वर्ष से अधिक पुराने मालयान यदि वे सी. एन. जी.एल. पी. जी. ईंधन पर संचालित नहीं हैं तो वे माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के प्रकरण क्र. डब्ल्यू पी. नं. 1762/1999 में प्रदत्त आदेश के तहत मुंबई शहर प्रवेश नहीं कर सकेंगे. आठ वर्ष आयु की यह सीमा सभी परिवहन वाहनों पर लागू होगी. जैसे टैक्सो, पैसेन्जर बस तथा मालवाहक वाहन.

4. मालयान (अस्थायी अनुज्ञा-पत्र).—(क) उपरोक्त खण्ड-4 के उपबंध के अधीन रहते हुए आवश्यकतानुसार दोनों में से किसी भी राज्य द्वारा 30 (तीस) दिन से अधिक अवधि के लिये पारस्परिक करारकर्ता राज्य के प्रतिबंधित मार्गों को छोड़कर दोनों ओर के 30 किलोमीटर पथान्तर सहित सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर चलाने के लिये मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1) या 87(2) के उपबंधों के अनुसार फेरों की संख्या पर किसी निबंधनों के बिना और पारस्परिक करारकर्ता राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार की प्रतिहस्ताक्षर के बिना द्विबिन्दु कर आधार पर मालयान अस्थायी अनुज्ञापत्र आवश्यकतानुसार जारी किये जा सकेंगे.

(ख) ये अनुज्ञा पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किये जा सकेंगे—

(एक) पारस्परिक करारकर्ता राज्य के अधिकारिता के भीतर पूर्वतः स्थित किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच कोई माल न तो चढ़ाया जायेगा और न ही उतारा जावेगा. अर्थात् ऐसे अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर अनन्यतः परिवहन के किसी भी कारबार पर चलाये जाने के लिये प्रतिषिद्ध रहेंगे.

(दो) प्रचालक किन्हीं अन्य शर्तों का जिन्हें परिवहन प्राधिकारी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79(2) के अधीन अधिरोपित करना उचित समझे, पालन करेगा।

5. ठेका गाड़ी मोटर कैब (अस्थायी अनुज्ञा-पत्र) तथा निजी सेवा यान.—(अ) खण्ड-4 के अधीन आवश्यकतानुसार एक राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा पारस्परिक राज्य में विनिर्दिष्ट टर्मिनलों को जोड़ने वाले विनिर्दिष्ट मार्गों के लिये पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना ठेका गाड़ी मोटर कैब के लिये अस्थायी अनुज्ञा जारी किये जा सकेंगे। ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र पर अन्य राज्यों को देव मोटरयान कर का संदाय डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा अग्रिम रूप से किया जायेगा। ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र इस शर्त के अधीन होंगे कि एक ही पक्ष द्वारा यान किराये पर लिया जावे और केवल एक वापसी फेरा (ट्रिप) के लिये विधिमान्य होगा। तथापि यदि किसी कारण से एक राज्य द्वारा जारी किये गये अनुज्ञापत्र की वैधता अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र में समाप्त होती है तो ऐसे परिवहन प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में उस समय यान हो, आवश्यक फीस और करों का संदाय करने के पश्चात् एक नया अस्थायी अनुज्ञा प्राप्त किया जायेगा।

(ब) दोनों राज्यों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में निजी सेवा यानों के पारस्परिक प्रतिहस्ताक्षर मंजूर किये जाने की शर्त पर अनुज्ञाएं जारी की जा सकेंगी।

6. विशेष अनुज्ञा-पत्र.—किसी भी राज्य के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) के अधीन जारी किये जाने वाले विशेष अनुज्ञापत्रों की संख्या पर कोई निर्वन्धन नहीं होगा। ऐसे अनुज्ञापत्र पारस्परिक करारकर्ता राज्य में तीस दिन से अनधिक कालावधि के लिये विधिमान्य होंगे और द्विबिन्दु कर के आधार पर जारी किये जावेंगे।

7. मंजिली गाड़ी सेवा.—निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों पर करार किया गया :-

(क) अन्तर्राज्यिक मार्गों पर एकल बिन्दु कर आधार पर मंजिली गाड़ी पारस्परिक करार के परिशिष्ट—“अ”, “ब” तथा “स” में अन्तर्विष्ट व्यौर के अनुसार होंगे।

समानता बनाये रखने की दृष्टि से कुल सेवा दूरी को जहां तक सेवा हो सके दोनों राज्यों के मध्य बराबर करारकर विभाजित किया जावेगा।

(ग) ऐसे करार के प्रयोजन के लिये किसी फेरे से अभिप्रेत होगा कि एकल फेरा परिशिष्ट “अ”, “ब” तथा “स” में वर्णित मार्गों से सदैव अभिप्रेत होगा, वर्णित मध्य मार्गों से होते हुए उक्त राज्यों में पड़ने वाले, उक्त सीमानों को जोड़ने वाले सबसे कम दूरी का सीधा मार्ग और उक्त परिशिष्टों में प्रदर्शित माईलेज/किलोमीटर में बाद में पाई गई किसी विसंगति को दोनों राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों के बीच तत्परता से पत्र-व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जावेगा और उसे करार के उपान्तर के रूप में नहीं समझा जावेगा।

(घ) परिशिष्ट “अ”, “ब” तथा “स” में समावेशित अन्तर्राज्यिक मार्ग के मार्गों के किसी विस्तारण जो अनन्यतः एक राज्य में पड़ती हो, उस राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकार को बिना पूर्व सहमति के उस राज्य के प्रचालकों द्वारा प्रचलित सेवाओं के संबंध में किया जा सकता है और इस तथ्य को अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी को सूचित किया जावेगा।

(ङ) जहां पुरानी पारस्परिकता में मार्ग का करार किया गया हो तो किन्तु पश्चात्पूर्व पारस्परिकता में उसे विस्तारण करके उपांतरित किया गया हो तो पुरानी पारस्परिकता में करार किये गये मार्ग को पुनरीक्षित पारस्परिकता में करार पाये गये मार्ग के रूप में तब तक माना जावेगा जब तक कि अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा विस्तारण के लिये अनुज्ञा-पत्र मंजूर न कर दिया जावे।

(च) प्रारंभिक समय सारणी का निर्धारण अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा वित्कुल अनन्तिम आधार पर किया जावेगा। जो अधिकतम चार मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा और सेवा का तत्काल प्रचालन करने के लिये ऐसा प्रतिहस्ताक्षर किया जावेगा। इस कालावधि के दौरान प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी के परामर्श से समय-सारणी को अन्तिम रूप देगा। समय-सारणी निर्धारित करते समय गृह राज्य की मंजिली गाड़ी को पारस्परिक करारकर्ता राज्य की बस के आगे चलने के लिये प्राथमिकता देगा तथा मार्ग पर लम्बी दूरी की अन्तर्राज्यिक सेवा की समय-सारणी में पर्याप्त अन्तराल होगा।

- (छ) प्रत्येक राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले मार्गों पर प्रचालन के लिये किये जाने वाला अधिकतम किंवा और भाड़ा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विहित किये गये, के अनुसार होगा। एक राज्य में जारी किये गये टिकटों का प्रारूप अन्य राज्य में विधिमान्य समझा जावेगा।
- (ज) मोटरयान कराधान अधिनियम तथा पारस्परिक करारकर्ता राज्य के नियमों के प्रयोजनों के लिये एक राज्य का बेटा दूसरे राज्य में बेटा स्वामी के रूप में पहचाना जावेगा।
- (झ) परिशिष्ट—“अ”, “ब” तथा “स” अन्तर्राज्यिक मार्गों पर मंजिली गाड़ी का संचालन जैसे कि इस करार के खण्ड (1) में विहित किया है मोटरयान कर, एकल बिन्दु आधार पर होगा।
- (ट) यह करार पाया कि उभय राज्यों के परिवहन उपक्रम वातायत की आवश्यकतानुसार पारस्परिक करार में सम्मिलित किये गये मार्गों पर सेवाओं को परिवर्तित/कटौत मार्गों पर गृह राज्य परिवहन प्राधिकारी के अनुमोदन तथा दोनों राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों के अनापत्ति के आधार पर प्रचालन के लिये अनुज्ञात किये जावेंगे। यह व्यवस्था उभय राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकारों द्वारा परस्पर पत्राचार के द्वारा की जा सकेगी।

8. कर/बकाया राशि की वसूली.—मंजिली गाड़ियों/टेका गाड़ियों या मालयानों के गृह राज्य के परिवहन प्राधिकारी अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करते समय पारस्परिक करारकर्ता राज्य के करों एवं बकाया राशि को वसूली के लिये सभी संभव ढंग से सहयोग करेंगे।

9. नियम.—एक राज्य से दूसरे राज्य में चलते यान (फौस और करों के भुगतान संबंधी प्रावधानों को छोड़कर) अपने पैतृक राज्य के नियमों से शासित होंगे।

10. सामान्य.—(1) अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये साधारण सहमति :—

- (अ) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(7) उपबंधित करता है कि धारा 88(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी एक प्रदेश का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी धारा 87 के अधीन अस्थायी अनुज्ञा-पत्र, जो दूसरे राज्य में विधिमान्य होगा उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी की सहमति से, साधारणतः या विशिष्ट अवसर के लिये जारी कर सकेगा।

यह सहमति है कि दोनों राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकारी इस करार में खण्ड 4, 5 तथा 6 के अनुसरण में आवश्यकतानुसार मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना मालयान और टेका गाड़ियाँ (ओमनी बसें और मोटर कैबों) के लिये अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(7) के अधीन साधारण सहमति दे सकेंगे। इस प्रकार के प्रवृत्त होने पर या उसके पूर्व साधारण सहमति दी जा सकेगी और उसकी प्रतियाँ अभिलेख सहित दोनों राज्यों द्वारा आपस में आदान-प्रदान की जावेगी।

- (ब) पारस्परिक करारकर्ता राज्य इस करार के निर्बन्धनों के अनुसरण में चल रहे यान के संबंध में टोकनों, रजिस्ट्रीकरण, प्रमाण-पत्रों, परिचालकों की अनुज्ञापत्रियों, परिवहन यान प्राधिकार/बिल्ला स्वस्थता प्रमाण-पत्र आदि के प्रमाण-पत्रों को मान्यता देंगे।
- (स) यान का भार पारस्परिक करारकर्ता राज्यों में अधिकतम अनुज्ञेय सकल यान भार से अधिक नहीं हो और अनुज्ञापत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करते समय इस करार की शर्त अधिरोपित की जा सकेगी।
- (द) मोटरयान अधिनियम की धारा 115 के अधीन हस्ताक्षरकर्ता राज्यों द्वारा अपने क्षेत्र में लागू किया गया कोई निर्बन्धन दोनों राज्यों के वाहनों के लिये समान रूप से लागू होगा।
- (इ) दोनों राज्यों के परिवहन उपक्रम अपने बेटे में से स्वामित्व को किसी यान अथवा पट्टा करार के अधीन अनुबंध पर ली गई यान द्वारा किसी मार्ग पर प्रचालन कर सकेंगे, बशर्तें ऐसे यान का पृष्ठांकन राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हो।

- (ई) दोनों राज्यों के सचिव/प्रमुख सचिव, परिवहन द्वारा आपसी सहमति से किन्हीं नये मार्गों/फेरों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो, वह इस करार के भाग माने जावेंगे.
- (ए) मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम की समाप्ति के बाद निगम (उपक्रम) के स्थान पर राज्य शासन द्वारा नाम-निर्दिष्ट संचालक इन मार्गों पर पारस्परिक करार में निर्धारित फेरों व अनुज्ञाओं के अनुसार चल सकेंगे.
- (फ) मध्यप्रदेश नॉमिनी की तरह चलने वाली मंजिली चात्री वाहनों पर ऐसा रंग करना आवश्यक होगा, जो राज्य परिवहन में प्राधिकार मध्यप्रदेश निर्धारित करें.
- (ब) वाहनों से होने वाले पर्यावरण के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम. सी. मेहता विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य एआयआर 2002 एससी 1606 एवं इन्दौर टेम्पो यूनियन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन याचिका क्रमांक 25198-25199/2005 आदेश दिनांक 17 जुलाई, 2006 में पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई की याचिका क्रमांक 1762/1999 में पारित आदेश तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक 1010/2006 में पारित आदेश दिनांक 22 जनवरी, 2007 को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों में इस बिन्दु पर सहमति है कि :-
- (1) चात्री वाहनों के संबंध में परस्पर राज्यों द्वारा जारी व प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञा ऐसे वाहनों के संबंध में नहीं की जावेगी जिनकी आयु पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष से अधिक है.
- (2) मालयानों के संबंध में अनुज्ञा तथा प्रतिहस्ताक्षर ऐसे मालयानों के लिये जारी नहीं किये जायें जिनकी आयु पंजीयन दिनांक से 12 वर्ष से अधिक हो.
- (घ) पारस्परिक करार में शामिल ऐसे मार्ग जिसमें करारकर्ता राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य का भाग आता हो पर तब तक ऐसी अनुज्ञा जारी नहीं की जावेगी जब तक कि उस संबंधित अन्य राज्य की सहमति प्राप्त न हो जाये.

इस करार में पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं.

हस्ता/-
(एम. के. राय)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
परिवहन विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

साक्षी

हस्ता/-

परिवहन आयुक्त,

मध्यप्रदेश.

हस्ता/-
(जी. एस. गिल)

प्रमुख सचिव,

महाराष्ट्र शासन,

परिवहन विभाग.

महाराष्ट्र के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

साक्षी

हस्ता/-

परिवहन आयुक्त,

महाराष्ट्र.

AGREEMENT

Reciprocal Transport Agreement between the Government of Maharashtra and the Government of Madhya Pradesh

This agreement is made this 1st day of February in the year TWO THOUSAND SEVEN between the Governor of State of Madhya Pradesh exercising executive powers of the Government of State of Madhya Pradesh hereinafter referred to as Government of Madhya Pradesh (which expression shall unless repugnant to the context or meaning there of, be deemed to include his successors in official assigns) of the one part and the Governor of State of Maharashtra exercising executive powers of the Government of State of Maharashtra hereinafter referred to as the Government of Maharashtra (which expression shall unless repugnant to the context or meaning there of, be deemed to include his successors in official assigns) of the Other part.

WHEREAS in view of the rapid economic development of the country and the contiguity of the State of Madhya Pradesh and Maharashtra, it was considered expedient to encourage the long distance Inter State Transport of Passangers and Goods between the said two States and to regulate, co-ordinate and control their operation, the said parties execute a Reciprocal Transport Agreement.

It is now agreed by and between the above parties as follows :—

That this Reciprocal Transport Agreement shall be enforced from the 1st of the March 2007 and shall be valid till such time as a new agreement between the two States is arrived at or reviewed or the existing one is rescinded after issue of six months notice on either side.

From the coming into force of this agreement, all previous bilateral agreements in the matter of road transport between the State of Madhya Pradesh and Maharashtra shall stand superceded.

1. Taxation.—(a) There shall be single point Motor Vehicle Tax in the reciprocating State in respect of stage carriages covered by substantive permits or temporary permits issued during the pendency of renewals of substantive permits under Section 87(1)(d) of the Motor Vehicles Act, 1988, within the agreed route and countersigned by other State. There shall be tax on passenger leviable under Bombay Motor Vehicle (Taxation of Passengers) Act, 1958, which will be on the basis of 70% load factor of seating capacity of the passenger vehicle.

(b) Goods carriages plying on substantive permits or temporary permits issued during the pendency of renewal of substantive permits under Section 87(1)(d) of the M.V. Act, 1988 within the agreed quota and countersigned by other State, shall be exempted on single point tax basis in other State as under:—

- (i) If the goods carriages belongs to the State of Madhya Pradesh Motor Vehicles Tax of Maharashtra State shall be liable to pay for a period of one year in advance and the countersignature shall be valid for that period only;
- (ii) If the goods carriages belongs to the State of Maharashtra Motor Vehicle Tax exemption is fixed from time to time by the Government of Madhya Pradesh shall be granted in Madhya Pradesh and the balance (*i.e.* M.V. Tax minus concessional exemption) amount of Motor Vehicle Tax shall be payable for a period of one year in advance and the countersignature shall be valid for that period only. The aforesaid exemption shall hereinafter be called "Reciprocal Tax Exemption".

(c) **Explanation.**—For the purpose of this agreement—(1) The words "Single Point Motor Vehicle Tax" in respect of a stage carriages covered with a duly countersigned permits means:—

- (i) In the case of stage carriage of Madhya Pradesh, liability of payment of Motor Vehicle Tax in Home State, but exemption from Motor Vehicle Tax in the State of Maharashtra. However, passenger tax of Maharashtra shall be payable on the basis of 70% load factor of seating capacity of the passenger vehicle.
 - (ii) In the case of stage carriages of Maharashtra the liability of payment of Motor Vehicle Tax (Road Tax) in Home State alongwith the liability of payment of Motor Vehicle Tax in Madhya Pradesh at concessional rate applicable to the stage carriages of other State plying under a reciprocal agreement as provided in the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991.
- (2) The word "Double Point Tax Basis" in respect of a Motor Vehicle means the liability of payment of all the taxes including Motor Vehicle Tax/Toll in both States.

2. Mode of Payment of Taxes.—(a) The permit issuing authority shall ensure that all taxes of the reciprocating state are paid in advance by Demand Draft drawn on any nationalised bank before any temporary permits or special permit is issued. In respect of T. P. the payment of tax of the reciprocating state is to be paid at border checkpost and the demand draft should be made to be drawn at Mumbai/Gwalior as the case may be. Both States can authorise any Bank to collect the concerned Demand Drafts directly from the R. T. O. Offices in respect of the issued permits for

their State.

(b) The number and amount of each Demand Draft through which taxes of the other state has been remitted by the operator shall be clearly endorsed on the face of Temporary Permits/Special Permits.

(c) Copies of all temporary permits and special permits together with Demand Draft drawn on the nationalised bank and other relevant information in the following proforma shall immediately be sent to the Secretary, State Transport Authority, Madhya Pradesh, Gwalior and in the case of Maharashtra, copies of such Temporary Permits/ Special Permits shall be sent to the Secretary, State Transport Authority, Maharashtra State, Mumbai alongwith Demand Drafts at monthly intervals in the following proforma:—

| Sr. No. | Vehicle Owner Name & Address | Permit No. & Vehicle No. | G.V.W. Vehicle and seating capacity of Vehicle | Validity of the Permit | | Bank's Name Branch Name, Bank Draft No. & Amount |
|---------|------------------------------|--------------------------|--|------------------------|-----|--|
| | | | | From | To | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

3. Goods carriages (Substantive Permits).—(a) It is agreed that the permits for a total 12000 (Twelve Thousand) Goods carriages belonging to each State shall be countersigned by the State Transport Authority of the reciprocating State on the recommendations of the State/Regional Transport Authority concerned of the Home State on single point tax basis. Such countersignature shall be granted by each state on either side of the National and State Highways to enable the vehicle to cater to the need of the community of that area.

(b) The goods carriages operating under counter signature shall not be used for picking up and setting down of goods between any two points laying exclusively within the territory of the reciprocating State, that is to say in such cases vehicles shall be prohibited from carrying on any business of transporting goods exclusively within the territory of the countersigning State and shall be subject to such conditions as the concerned Transport Authority may deem fit to impose under Section 79 and 84 of the Motor Vehicles Act, 1988.

(c) The goods carriage which are more than 8 years old, unless running on CNG/LPG are not allowed to enter the city of Mumbai, as per orders of the Hon'ble High Court, Bombay in the case W. P. No. 1762/1999. 8 years condition is also applicable to all transport vehicles viz. A/R Taxi, Passenger Buses, Goods carriage.

4. Goods Carriage (Temporary Permits) There is no restriction on Temporary Permits.—(a) Subject to the concurrence of both the State Transport Authorities, goods carriage temporary permits as per need may be issued for a period not exceeding 30 days by either State in accordance with the provision of Section 87(1) or 87(2) of the Motor Vehicle Act, 1988 except on prohibited routes in the reciprocating State, without any restriction on the number of trips and without countersignature of the Transport Authority of reciprocating State, on the double point tax basis. However the good carriage from Madhya Pradesh State which are more than 8 years old are not allowed to enter the city of Mumbai BSD.

(b) These permits shall be issued subject to the following conditions :—

- (i) that no goods shall be picked or set down between any two points lying wholly within the jurisdiction of the reciprocating State i.e. such vehicle shall be prohibited from exclusively within the territory of the other State.
- (ii) that an operator shall abide by conditions imposed under Section 79(2) and 84 of the Motor Vehicle Act, 1988.

5. Contract Carriage Motor Cab (Temporary Permits) & Private Service Vehicles.—(a) Subject to the provision of clause 10(A) contract carriage motor cabs temporary permits may be issued as per need by the State Transport Authority of one State for a specified route connecting the specified terminals in the reciprocating State without the requirement of countersignature by the Transport Authority of the reciprocating State. The validity of such temporary permit shall not be exceed a period of thirty days. Motor Vehicle Tax on such

temporary permit payable to the other State shall be paid in advance through a Demand Draft. Such temporary permits shall be subject to the condition that the vehicle shall be hired by a single party valid of the permit issued by one State expires in the territory of other Authority within whose jurisdiction the vehicle happens to be that time after the payment of necessary fees and taxes.

(b) Both states can issue the permits for adjoining areas of other state to the private service vehicle subject to counter signature.

6. **Special Permits.**—There shall be no restriction on the number of special permits to be issued under Section 88(8) of the Motor Vehicle Act, 1988 by the Transport Authorities of either State. Such permits shall be valid for a period of not exceeding thirty days in reciprocating State and shall be issued on double point to basis.

7. **Stage Carriage Services.**—The following General Principles are agreed to :—

- (a) The Inter State routes for operation of Stage carriages as agreed upon shall be as shown in the Appendix 'A', 'B' and 'C'.
- (b) The total service distance shall, as far as possible be equally distributed between the two State so as to maintain parity.
- (c) A trip for the purpose of this agreement will mean one single trip. The route mentioned in Appendix 'A', 'B' and 'C' shall always mean the shortest direct route connecting terminals lying in the two States through via mentioned and any discrepancy discovered later in the mileage/ Kms. shown in the said Appendix shall promptly be corrected through correspondence between the two State Transport Authorities and shall not be treated as modification of the agreement.
- (d) Any extension of the portion of the inter State route included in the appendix 'A', 'B' and 'C' which lies exclusively in one State may be made by the Transport Authority of that State in respect of services run by operators of that State without prior consultation with the Transport Authority of the other State and the fact shall be intimated to the State Transport Authority of the other State.
- (e) Where in the old reciprocity, the route is agreed what in the subsequent reciprocity, it has been modified by giving extension, the route agreed in the old reciprocity shall be treated as agreed route in revised reciprocity till permits for extension is granted by the permit granting authority.
- (f) The initial time table shall be fixed by the permit granting authority only after getting NOC of the other States.
- (g) The maximum fare and freight chargeable shall be as prescribed by the respective State Government for the operation of routes lying within the territory of each State. The form of tickets issued in one State shall be deemed to be valid in the other State.
- (h) For the purpose of respective Motor Vehicle Taxation Acts of both the States and Rules of the reciprocating State, the fleet owners of the one State shall be recognized as fleet owners of the other States.
- (i) The operation of the stage carriages on the inter state route as per appendix 'A', 'B' and 'C' shall be on single point Motor Vehicle Tax as provided in clause 1 of this agreement.
- (j) It is agreed that the S.T.U.s, of both the states shall be allowed to divert/curtail services as per traffic Passengers need on the routes incorporated in the reciprocal transport agreement subject to the approval of the State Transport Authority of the home state. This can be done by consulting the S.T.U. of the other State.

8. **Recovery of Arrears.**—The Transport Authority of Home States granting permit to stage carriages, contract carriages, goods carriages or other permit shall assist in the recovery of taxes and arrears of reciprocating states in all possible manner.

9. **Rules.**—Vehicle of one State plying in the other State shall be governed by the rules and regulation (except the provision relating to paying of fees and taxes) of the home State.

10. **General.**—General Concurrence for issue of Temporary permits :—

- (a) Section 88(7) of the Motor Vehicle Act, 1988 provides that notwithstanding anything contained in Section 88(1), a regional Transport Authority of one region may issue a temporary permit under Section 87 to be valid in another State, with the concurrence even generally or for the particular occasion of the State Transport Authority of that other State.

It is hereby agreed the State Transport Authorities of both the States may accord general concurrence under Section 88(7) of the M.V. Act, 1988 for the issue of the temporary permits for goods carriage and contract carriages (Omni buses and Motor Cabs) in pursuance of Clauses 4, 5 and 6 of this agreement, as per need without the requirement of countersignature under Section 88(1) of the Motor Vehicle Act, 1988.

- (b) The reciprocating States shall accord recognition to tax token/registration certificate, conductors license, Transport Vehicles Authorisation/Badges, certificate of fitness in respect of the vehicles plying in accordance with the terms of this agreement.
- (c) The Gross load of vehicle shall not exceed the maximum permissible gross vehicle weight in the respective states and conditions in this respect be imposed while countersigning the permits.
- (d) Any restriction imposed by the signatory State in its territory under Section 115 of the Motor Vehicle Act, 1988 shall equally apply to vehicles of both the States.
- (e) Both the State can play any of the vehicle of their fleet, which includes any vehicle owned by S.T.U. on lease and it should be indorsed by competent authority of the State.
- (f) The new routes and trips can be added in the future with the consent of both the Secretary/ Principal Secretary of the States and this will be deemed as part of the Reciprocal Agreement.
- (g) After closure of the MPRTC the nominees of Madhya Pradesh State may play on the routes which are reserved for S.T.U. of Madhya Pradesh.
- (h) Colour scheme prescribed by State Transport Authority shall be applicable for the stage carriage vehicles being plied as Madhya Pradesh Government nominee.
- (i) Both States have expressed concern about pollution by motor vehicles. In view of orders passed by Hon'ble Supreme Court in MC Mehta v/s Union of India and others AIR 2002 SC 1696, and in Indore Tempo Union v/s Govt. of M. P. in WP No. 25198-25199/2005 order dated 17th July, 2006 and order passed by Hon'ble High Court Mumbai in WP 1762/199 and order passed by M. P. High Court, Indore in WP No. 1010/2006, dated 27-1-2007 it is agreed upon:
- (1) that no permit will be issued or countersigned by any State for passenger vehicles, which is more than 10 year old from the date of registration.
- (2) that in case of goods vehicle the above mentioned age limit will be 12 years from the date of registration.
- (j) The routes which also cover third state apart from agreeing states will remain in R. A. However the permits for such routes will only be issued only after the consent of the third State.

In witness where off the parties herein to have signed this agreement on this day and year first above written.

Sd./-
(M. K. ROY)
Principal Secretary,
Madhya Pradesh Government,
Transport Department

For and on behalf of the Governor of Madhya Pradesh.

Witness

Sd./-
Transport Commissioner,
Madhya Pradesh.

Sd./-
(G. S. GILL)
Principal Secretary,
Maharashtra Government,
Transport Department

For and on behalf of the Governor of Maharashtra.

Witness

Sd./-
Transport Commissioner,
Maharashtra.

SCHEDULE-"A"

ROUTES PROPOSED BY MAHARASHTRA FOR REVISED RECIPROCAL TRANSPORT AGREEMENT FOR

| S.No. | Name of Route | Route length in Kms. | | | No. of Trips | | Service Kms. in M.P. | | No. of Permits |
|-------|---|----------------------|----------|-----------|--------------|----------|----------------------|----------|----------------|
| | | M.S. (3) | M.P. (4) | Total (5) | Min. (6) | Max. (7) | Min. (8) | Max. (9) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Bhandara-Balaghat via Tumsar | 54 | 52 | 106 | 2 | 6 | 104 | 312 | 6 |
| 2 | Nagpur-Pandhurna | 62 | 28 | 90 | 2 | 6 | 56 | 168 | 6 |
| 3 | Warud-Pandhurna | 23 | 12 | 35 | 2 | 6 | 24 | 72 | 6 |
| 4 | Amravati-Pandhurna | 110 | 12 | 122 | 2 | 4 | 24 | 48 | 2 |
| 5 | Amravati-Multai | 101 | 29 | 130 | 4 | 10 | 116 | 290 | 10 |
| 6 | Amravati-Betul via Warud | 101 | 80 | 181 | 2 | 2 | 160 | 160 | 2 |
| 7 | Amravati-Khandwa | 157 | 141 | 298 | 2 | 2 | 282 | 282 | 2 |
| 8 | Sendhwa-Shirpur | 37 | 16 | 53 | 4 | 10 | 64 | 160 | 6 |
| 9 | Nagpur-Lalbura-via Gondia Waraseoni | 183 | 61 | 244 | 2 | 2 | 122 | 122 | 2 |
| 10 | Nagpur-Pipla | 52 | 24 | 76 | 4 | 6 | 96 | 144 | 3 |
| 11 | Kalod-Pardasinga | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 12 | Gondia-Waraseoni via Balaghat | 21 | 40 | 61 | 2 | 2 | 80 | 80 | 2 |
| 13 | Gondia-Amgaon-via Lanji | 24 | 60 | 84 | 2 | 2 | 120 | 120 | 1 |
| 14 | Amravati-Itarsi | 101 | 173 | 274 | 2 | 2 | 346 | 346 | 2 |
| 15 | Achalpur-Burhanpur | 112 | 71 | 183 | 2 | 2 | 142 | 142 | 2 |
| 16 | Tumsar Road-Balaghat via Rampalli | 28 | 52 | 80 | 2 | 2 | 104 | 104 | 1 |
| 17 | Tumsar Road-Waraseoni via Rampalli | 28 | 35 | 63 | 2 | 2 | 70 | 70 | 1 |
| 18 | Tumsar-Waraseoni via Rampalli | 23 | 35 | 58 | 4 | 6 | 140 | 210 | 3 |
| 19 | Tumsar Road-Waraseoni via Katangi | 34 | 55 | 89 | 4 | 6 | 220 | 330 | 3 |
| 20 | Tumsar Road-Katangi | 34 | 24 | 58 | 2 | 2 | 48 | 48 | 1 |
| 21 | Tumsar-Katangi | 29 | 24 | 53 | 2 | 4 | 48 | 96 | 2 |
| 22 | Tiroda-Khairlanji | 17 | 5 | 22 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 |
| 23 | Tiroda-Railway Station-Khairlanji | 19 | 5 | 24 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 |
| 24 | Nagpur-Mohgaon | 52 | 24 | 76 | 4 | 16 | 96 | 384 | 2 |
| 25 | Paratwada-Burhanpur via Dharni | 107 | 71 | 178 | 2 | 2 | 142 | 142 | 2 |
| 26 | Shahada-Pansemal via Khetia | 18 | 14 | 32 | 12 | 22 | 168 | 308 | 10 |
| 27 | Malkapur-Ichhapur | 65 | 1 | 66 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 28 | Bhusawal-Burhanpur | 55 | 11 | 66 | 4 | 6 | 44 | 66 | 3 |
| 29 | Shirpur-Pansemal via Umbarti | 41 | 10 | 51 | 4 | 6 | 40 | 60 | 3 |
| 30 | Nagpur-Lodhikheda | 52 | 12 | 64 | 2 | 4 | 24 | 48 | 2 |
| 31 | Chopda-Balwadi via Umbarti | 39 | 4 | 43 | 2 | 4 | 8 | 16 | 2 |
| 32 | Shirpur-Balwadi | 44 | 5 | 49 | 2 | 4 | 10 | 20 | 2 |
| 33 | Gondia-Rajegaon | 20 | 1 | 21 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 |
| 34 | Achalpur-Tukaithad Rly. Stn. via Bhokar, Pardi. | 112 | 15 | 127 | 2 | 2 | 30 | 30 | 2 |
| 35 | Aurangabad-Burhanpur via Silod, Jalgon. | 257 | 22 | 279 | 2 | 2 | 44 | 44 | 2 |
| 36 | Mehekar-Burhanpur | 163 | 22 | 185 | 2 | 2 | 44 | 44 | 2 |
| 37 | Paratwada-Muktagiri | 12 | 4 | 16 | 4 | 4 | 16 | 16 | 2 |
| 38 | Dhule-Dhar via Gujari | 100 | 164 | 264 | 2 | 2 | 328 | 328 | 2 |
| 39 | Edlabad-Burhanpur via Ichhapur | 20 | 22 | 42 | 2 | 12 | 44 | 264 | 4 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 40 | Amraoti-Betul via Achalpur, Paratwada | 69 | 91 | 160 | 2 | 2 | 182 | 182 | 2 |
| 41 | Nagpur-Samgamswarga via Kelod | 52 | 5 | 57 | 4 | 6 | 20 | 30 | 1 |
| 42 | Shegaon-Ujjain via Nandura, Edlabad | 113 | 278 | 391 | 2 | 2 | 556 | 556 | 3 |
| 43 | Dondaicha-Pansemal via Jawad, Dhamratnaka. | 48 | 5 | 53 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 |
| 44 | Varud-Narkhed via Bangaon, Mowad | 38 | 12 | 50 | 2 | 4 | 24 | 48 | 2 |
| 45 | Katol-Varud via Bangaon | 66 | 12 | 78 | 2 | 2 | 24 | 24 | 2 |
| 46 | Paratwada-Jarida via Bhainsedhi, Doma | 30 | 56 | 86 | 2 | 6 | 112 | 336 | 3 |
| 47 | Nanded-Khandwa via Jalna, Buldhana, Malkapur. | 397 | 92 | 489 | 2 | 2 | 184 | 184 | 3 |
| 48 | Bhusawal-Dharni via Raver, Burhanpur | 53 | 98 | 151 | 2 | 2 | 196 | 196 | 2 |
| 49 | Malkapur-Anturli via Edlabad | 37 | 3 | 40 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 |
| 50 | Bhandara-Cindawada via Ramtek, Mansar. | 147 | 74 | 221 | 2 | 4 | 148 | 296 | 3 |
| 51 | Nagpur-Pandhurna via Katol, Jalakhed | 104 | 18 | 122 | 4 | 8 | 72 | 144 | 4 |
| 52 | Aurangabad-Indore via Dhule, Sendhwa. | 292 | 169 | 461 | 6 | 22 | 1014 | 3718 | 2 |
| 53 | Chopda-Khandwa | 86 | 81 | 167 | 2 | 2 | 162 | 162 | 2 |
| 54 | Nashik-Indore | 259 | 169 | 428 | 2 | 2 | 338 | 676 | 2 |
| 55 | Shahada-Jaora | 20 | 8 | 28 | 2 | 4 | 16 | 16 | 2 |
| 56 | Shirpur-Jaora | 43 | 15 | 58 | 2 | 2 | 30 | 30 | 2 |
| 57 | Ahmednagar-Indore via Dhule | 332 | 169 | 501 | 2 | 2 | 338 | 676 | 2 |
| 58 | Nandurbar-Indore via Pulsar, Raipur | 57 | 211 | 268 | 2 | 4 | 422 | 422 | 2 |
| 59 | Dhule-Omkareshwar | 100 | 169 | 269 | 2 | 2 | 338 | 338 | 2 |
| 60 | Dhule-Khandwa | 100 | 187 | 287 | 2 | 2 | 374 | 374 | 2 |
| 61 | Dhule-Ujjain | 100 | 225 | 325 | 2 | 2 | 450 | 450 | 2 |
| 62 | Chalisgaon-Indore | 160 | 169 | 329 | 2 | 2 | 338 | 338 | 2 |
| 63 | Jalgaon-Indore | 128 | 169 | 297 | 2 | 2 | 338 | 338 | 2 |
| 64 | Yawal-Indore | 42 | 222 | 264 | 2 | 2 | 444 | 444 | 2 |
| 65 | Shirpur-Indore | 280 | 169 | 449 | 2 | 2 | 338 | 338 | 2 |
| 66 | Ahmednagar-Dhule-Burhanpur | 366 | 10 | 376 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2 |
| 67 | Jalna-Burhanpur | 271 | 22 | 293 | 2 | 2 | 44 | 44 | 2 |
| 68 | Nandurbar-Omkareshwar | 57 | 201 | 258 | 2 | 6 | 402 | 1206 | 5 |
| 69 | Shirdi-Omkareshwar via Khandwa | 327 | 144 | 471 | 2 | 2 | 288 | 288 | 2 |
| 70 | Sheogaon-Omkareshwar via Burhanpur | 131 | 168 | 299 | 2 | 2 | 336 | 336 | 2 |
| 71 | Jamkhed-Indore | 408 | 169 | 577 | 2 | 2 | 338 | 338 | 2 |
| 72 | Chopda-Indore | 123 | 169 | 292 | 2 | 2 | 338 | 338 | 2 |
| 73 | Nagpur-Rangari via Khapa, Sindwani | 62 | 5 | 67 | 4 | 6 | 20 | 30 | 4 |
| 74 | Nagpur-Katangji via Tumsar, Ramtek | 128 | 24 | 152 | 2 | 2 | 48 | 48 | 2 |
| 75 | Raver-Ujjain via Burhanpur, Khandwa, Indore. | 12 | 268 | 280 | 2 | 4 | 536 | 1072 | 2 |
| 76 | Chopda-Khetia via Shirpur, Shahada | 123 | 124 | 247 | 2 | 4 | 248 | 496 | 2 |
| 77 | Nagpur-Sawangi via Saoner, Mohagaon | 52 | 24 | 76 | 4 | 4 | 96 | 96 | 4 |
| 78 | Yavatmal-Indore, via Amraoti, Paratwada. | 249 | 271 | 520 | 2 | 2 | 542 | 542 | 2 |
| 79 | Pusad-Indore via Akola, Malkapur, Adilabad. | 250 | 284 | 534 | 2 | 2 | 568 | 568 | 2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----|--|-------|------|-------|-----|-----|-------|-------|------|
| 80 | Pandharpur-Indore | 519 | 169 | 688 | 1 | 1 | 169 | 169 | 1 |
| 81 | Solapur-Indore | 586 | 169 | 755 | 1 | 1 | 169 | 169 | 1 |
| 82 | Beed-Indore | 386 | 169 | 555 | 2 | 2 | 338 | 338 | 2 |
| 83 | Gondia-Katni | 10 | 360 | 370 | 1 | 2 | 360 | 720 | 1 |
| 84 | Nagpur-Narsinghpur | 81 | 177 | 258 | 2 | 2 | 354 | 354 | 2 |
| 85 | Tumsar-Seoni via Bapera, Waraseoni | 28 | 129 | 157 | 2 | 4 | 258 | 516 | 2 |
| 86 | Gondia-Langi | 18 | 37 | 55 | 2 | 6 | 74 | 222 | 2 |
| 87 | Amravati-Bhandum via Paratwada, Ghatang. | 146 | 19.7 | 165.7 | 2 | 4 | 39.4 | 78.8 | 4 |
| 88 | Paratwada-Jarida via Ghatang, Khamala | 55 | 19 | 74 | 2 | 4 | 38 | 76 | 2 |
| 89 | Jalgaon-Burhanpur via Ichhapur | 70.8 | 22 | 92.8 | 2 | 4 | 44 | 88 | 2 |
| 90 | Sheogaon-Burhanpur via Ichhapur | 119.1 | 22 | 141.1 | 2 | 4 | 44 | 88 | 2 |
| 91 | Chikhali-Burhanpur via Ichhapur | 119.1 | 22 | 141.1 | 2 | 4 | 44 | 88 | 2 |
| 92 | Chikhali-Indore via Ichhapur | 119.1 | 222 | 341.1 | 2 | 4 | 444 | 888 | 4 |
| 93 | Sheogaon-Omkareshwar via Khandwa | 119.1 | 166 | 285 | 2 | 4 | 331.8 | 663.6 | 4 |
| 94 | Nagpur-Ramakona via Sindevani | 63 | 22.9 | 85.9 | 2 | 4 | 45.8 | 91.6 | 2 |
| 95 | Nagpur-Khamarpani via Sindevani, Khapa. | 15.3 | 44.2 | 59.5 | 2 | 4 | 88.4 | 176.8 | 2 |
| 96 | Nagpur-Bichua via Khapa, Sindevani Khamarpani. | 63 | 44.2 | 107.2 | 2 | 4 | 88.4 | 176.8 | 4 |
| 97 | Katol-Nagalwadi via Wadchicholi, Saikheda. | 40 | 37.7 | 77.7 | 2 | 4 | 75.4 | 150.8 | 2 |
| 98 | Nagpur-Pipla (Narayanwar) via Jamsavali. | 52.3 | 18.4 | 70.7 | 2 | 4 | 36.8 | 73.6 | 2 |
| 99 | Nagpur-Devi Badosa | 52.3 | 38.2 | 90.5 | 2 | 4 | 76.4 | 152.8 | 2 |
| 100 | Chondi-Indore | 419 | 169 | 588 | 2 | 4 | 338 | 676 | 6 |
| 101 | Chopada-Dhawali via Gerughati | 21.8 | 9 | 30.8 | 2 | 4 | 18 | 36 | 2 |
| 102 | Chopada-Sendhava via Gerughati, Balwadi. | 54.4 | 16 | 70.4 | 2 | 4 | 32 | 64 | 2 |
| 103 | Chopada-Balwadi via Baijapur, Gerughati. | 30 | 5.7 | 35.7 | 2 | 4 | 11.4 | 22.8 | 2 |
| 104 | Nashik-Burhanpur | 330 | 22 | 352 | 2 | 4 | 44 | 88 | 4 |
| 105 | Malegaon-Burhanpur | 220 | 22 | 242 | 2 | 4 | 44 | 88 | 4 |
| 106 | Jalgaon-Jamod-Burhanpur | 70 | 22 | 92 | 2 | 4 | 44 | 88 | 2 |
| 107 | Shirpur-Dhadgaon | 100 | 3 | 103 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 |
| 108 | Akkalkuva-Burhanpur | 251 | 12.5 | 263.5 | 2 | 4 | 25 | 50 | 2 |
| 109 | Daryapur-Burhanpur | 156 | 29 | 185 | 2 | 4 | 58 | 116 | 2 |
| 110 | Dhule-Pansemal | 111 | 5 | 116 | 2 | 4 | 10 | 20 | 2 |
| 111 | Nandurbar-Pansemal | 56 | 12 | 68 | 2 | 4 | 24 | 48 | 2 |
| 112 | Malkapur-Patondi | 55 | 3 | 58 | 2 | 4 | 6 | 18 | 2 |
| 113 | Muktainagar-Anturli | 21 | 3 | 24 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 |
| 114 | Amalner-Indore | 126 | 169 | 295 | 2 | 4 | 338 | 338 | 1 |
| 115 | Yaval-Burhanpur | 53 | 10.6 | 63.6 | 2 | 4 | 21.2 | 42.4 | 2 |
| 116 | Jalgaon-Balwadi | 105 | 4 | 109 | 2 | 4 | 8 | 16 | 2 |
| 117 | Bodvad-Burhanpur | 39 | 24 | 63 | 2 | 4 | 48 | 96 | 2 |

SCHEDULE-"B"

ROUTES PROPOSED BY MAHARASHTRA FOR REVISED RECIPROCAL TRANSPORT AGREEMENT FOR

| S.No. | Name of Route | Route length in Kms. | | | No. of Trips | | Service Kms. | | No. of Permits |
|-------|---|----------------------|------|-------|--------------|------|--------------|------|----------------|
| | | M.S. | M.P. | Total | Min. | Max. | Min. | Max. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Hoshangabad-Nagpur via Pandhurna | 62 | 215 | 277 | 2 | 4 | 124 | 248 | 4 |
| 2 | Itarsi-Nagpur via Betul | 62 | 198 | 260 | 6 | 8 | 372 | 496 | 8 |
| 3 | Betul-Anjangaon | 55 | 93 | 148 | 2 | 4 | 110 | 220 | 2 |
| 4 | Burhanpur-Dharni | 15 | 72 | 87 | 6 | 6 | 90 | 90 | 3 |
| 5 | Hoshangabad-Amaravati via Multai | 104 | 178 | 282 | 4 | 6 | 416 | 624 | 4 |
| 6 | Chincholi-Paratwada via Bhainsdehi | 26 | 127 | 153 | 2 | 4 | 52 | 104 | 2 |
| 7 | Chincholi-Achalpur via Betul | 26 | 129 | 155 | 2 | 4 | 52 | 104 | 2 |
| 8 | Khandwa-Malkapur-Nandura | 59 | 94 | 153 | 2 | 2 | 118 | 118 | 2 |
| 9 | Balaghat-Tumsar | 17 | 67 | 84 | 2 | 2 | 34 | 34 | 2 |
| 10 | Bawanthadi-Katangi | 2 | 20 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 11 | Lalburra-Gondia via Waraseoni | 19 | 63 | 82 | 6 | 8 | 114 | 152 | 2 |
| 12 | Balaghat-Amgaon via Kirnapur | 5 | 83 | 88 | 8 | 16 | 40 | 80 | 2 |
| 13 | Lanji-Amgaon | 5 | 19 | 24 | 16 | 40 | 80 | 200 | 2 |
| 14 | Sendhwa-Warla via Palasner | 15 | 35 | 50 | 2 | 2 | 30 | 30 | 1 |
| 15 | Balaghat-Amgaon via Lanji | 5 | 78 | 83 | 4 | 4 | 20 | 20 | 2 |
| 16 | Narsinghpur-Nagpur | 81 | 177 | 258 | 2 | 2 | 162 | 162 | 2 |
| 17 | Betul-Nagpur | 62 | 109 | 171 | 8 | 10 | 496 | 620 | 5 |
| 18 | Jabalpur-Raipur via Seoni Balaghat Gondia. | 89 | 379 | 468 | 2 | 2 | 178 | 178 | 2 |
| 19 | Badwani-Khetia-Dondaicha | 46 | 113 | 159 | 2 | 4 | 92 | 184 | 2 |
| 20 | Sendhwa-Shahada-Nandurbar via Khetia | 82 | 57 | 139 | 2 | 4 | 164 | 328 | 2 |
| 21 | Pandhurna-Narkhed | 13 | 18 | 31 | 2 | 4 | 26 | 52 | 1 |
| 22 | Katol-Pandhurna-Chindwada | 46 | 118 | 164 | 2 | 4 | 92 | 184 | 2 |
| 23 | Mandala-Nagpur | 82 | 170 | 252 | 4 | 6 | 328 | 492 | 2 |
| 24 | Katangi-Gondia via Waraseoni | 19 | 70 | 89 | 4 | 4 | 76 | 76 | 1 |
| 25 | Barwani-Nandurbar via Khetia | 82 | 113 | 195 | 2 | 2 | 164 | 164 | 2 |
| 26 | Sendhwa-Khetia via Shahada | 19 | 58 | 77 | 2 | 4 | 38 | 76 | 2 |
| 27 | Sendhwa-Dhawali via Palasner | 35 | 35 | 70 | 2 | 4 | 70 | 140 | 2 |
| 28 | Jabalpur-Tumsar-Bhandara via Katangi | 60 | 218 | 278 | 2 | 2 | 120 | 120 | 2 |
| 29 | Seoni-Tumsar via Waraseoni, Bapera | 27 | 129 | 156 | 2 | 2 | 54 | 54 | 1 |
| 30 | Balaghat-Bavanthadi | 2 | 66 | 68 | 6 | 8 | 12 | 16 | 1 |
| 31 | Balaghat-Gondia via Rajegaon, Lanji | 19 | 103 | 122 | 2 | 2 | 38 | 38 | 1 |
| 32 | Keolari-Nagpur via Seoni, Kahwasa | 80 | 98 | 178 | 2 | 2 | 160 | 160 | 1 |
| 33 | Indore-Nagpur via Nemawar, Harda, Betul. | 62 | 395 | 457 | 2 | 2 | 124 | 124 | 2 |
| 34 | Indore-Shegaon via Khandwa, Burhanpur. | 108 | 222 | 330 | 2 | 4 | 216 | 432 | 2 |
| 35 | Sarni-Nagpur via Betul, Multai, Pandurna. | 62 | 177 | 239 | 2 | 2 | 124 | 124 | 2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|----------|--|------|------|-------|-----|-----|-------|-------|------|
| 36 | Indore-Jalna via Burhanpur, Malkapur | 212 | 222 | 434 | 1 | 2 | 212 | 424 | 2 |
| 37 | Hoshangabad-Shegaon via Betul, Akot | 145 | 204 | 349 | 2 | 2 | 290 | 290 | 2 |
| 38 | Sendhwa-Nandurwar via Khetia | 50 | 204 | 254 | 2 | 4 | 100 | 200 | 4 |
| 39 | Ratlam-Nasik via Dhar, Dhamnod, Malegaon. | 257 | 241 | 498 | 2 | 2 | 514 | 514 | 2 |
| 40 | Chhindwara-Yavatmal via Nagpur | 201 | 75 | 276 | 2 | 2 | 402 | 402 | 2 |
| 41 | Chhindwara-Amraoti via Multai | 101 | 118 | 219 | 2 | 2 | 202 | 202 | 2 |
| 42 | Burhanpur-Jalgaon-Jamod via Ichhapur | 43 | 22 | 65 | 2 | 2 | 86 | 86 | 1 |
| 43 | Balaghat-Bhandara via Katangi, Tumsar | 128 | 66 | 194 | 2 | 2 | 256 | 256 | 2 |
| 44 | Balaghat-Tirodi-Nagpur | 81 | 105 | 186 | 2 | 4 | 162 | 324 | 2 |
| 45 | Balaghat-Amgaon via Gondia | 48 | 22 | 70 | 2 | 2 | 96 | 96 | 1 |
| 46 | Indore-Aurangabad via Dhule | 247 | 169 | 416 | 2 | 2 | 494 | 494 | 2 |
| 47 | Indore-Jalgaon via Sendhwa | 149 | 169 | 318 | 2 | 2 | 298 | 298 | 2 |
| 48 | Khargone-Surat via Nandurwar Guj-102 | 120 | 125 | 245 | 2 | 2 | 240 | 240 | 2 |
| 49 | Khargone-Surat via Dhule Guj-102 | 220 | 85 | 305 | 2 | 2 | 440 | 440 | 2 |
| 50 | Khargone-Shirdi via Dhule | 245 | 85 | 330 | 2 | 2 | 490 | 490 | 2 |
| 51 | Khetia-Shahda | 58 | 19 | 77 | 2 | 12 | 116 | 696 | 1 |
| 52 | Burhanpur-Jalgaon | 87 | 11 | 98 | 2 | 4 | 174 | 348 | 2 |
| 53 | Piparia-Nagpur via Chhindwada | 52 | 212 | 264 | 2 | 2 | 104 | 104 | 2 |
| 54 | Piparia-Amravati via Chhindwada | 134 | 243 | 377 | 2 | 2 | 268 | 268 | 2 |
| 55 | Bhopal-Shirdi via Indore | 245 | 359 | 604 | 2 | 2 | 490 | 490 | 2 |
| 56 | Khandwa-Bhusawal via Raver | 64 | 81 | 145 | 2 | 2 | 128 | 128 | 1 |
| 57 | Khandwa-Dharni via Shevapur | 13 | 64 | 77 | 4 | 4 | 52 | 52 | 2 |
| 58 | Javra-Burhanpur via Jalgaon | 97 | 66 | 163 | 2 | 2 | 194 | 194 | 2 |
| 59 | Burhanpur-Shirdi via Edlabad | 365 | 22 | 387 | 2 | 2 | 730 | 730 | 2 |
| 60 | Burhanpur-Nagpur via Paratwada | 309 | 71 | 380 | 2 | 2 | 618 | 618 | 2 |
| 61 | Burhanpur-Akola via Malkapur | 142 | 22 | 164 | 2 | 2 | 284 | 284 | 1 |
| 62 | Bhopal-Akola via Itarsi | 120 | 286 | 406 | 2 | 2 | 240 | 240 | 2 |
| 63 | Ujjain-Shirdi via Indore | 245 | 285 | 530 | 2 | 2 | 490 | 490 | 2 |
| 64 | Ujjain-Shegaon via Khandwa | 113 | 270 | 383 | 2 | 2 | 226 | 226 | 2 |
| 65 | Ujjain-Poona via Indore, Shendava | 470 | 225 | 695 | 2 | 2 | 940 | 940 | 2 |
| 66 | Nagpur-Khajuraho | 81 | 419 | 500 | 2 | 2 | 162 | 162 | 2 |
| 67 | Pandhurna-Nagpur | 61 | 30 | 91 | 6 | 6 | 366 | 366 | 2 |
| 68 | Pandhurna-Amravati | 110 | 12 | 122 | 2 | 2 | 220 | 220 | 1 |
| 69 | Balaghat-Bhandara via Warashivani | 60 | 72 | 132 | 4 | 4 | 240 | 240 | 2 |
| 70 | Balaghat-Nagpur via Pawani | 117 | 32 | 149 | 4 | 4 | 468 | 468 | 2 |
| 71 | Burhanpur-Amravati | 276 | 22 | 298 | 2 | 2 | 552 | 552 | 2 |
| 72 | Khandwa-Surat via Khargone Sendhwa, Shirpur, Shindkheda, Dodachya, Nandurwar, Byara, Bardoli | 224 | 172 | 396 | 2 | 2 | 448 | 448 | 2 |
| 73 | Alirajpur-Surat via Badwani, Julwaniya, Sendhwa, Shirpur, Sindkheda, Dodachya, Nawapur, Bardoli. | 126 | 56 | 182 | 4 | 4 | 504 | 504 | 4 |
| 74 | Amravati-Muktagiri | 62 | 4 | 66 | 1 | 2 | 62 | 124 | 2 |
| 75 | Akola-Muktagiri | 110 | 4 | 114 | 1 | 2 | 110 | 220 | 1 |
| 76 | Akot-Muktagiri | 75 | 4 | 79 | 1 | 2 | 75 | 150 | 1 |
| Total .. | | 7616 | 9271 | 16887 | 210 | 296 | 16933 | 20266 | 154 |

SCHEDULE-"C"

ROUTES JOINTLY ALOOTED TO MADHYA PRADESH & MAHARASHTRA EXCLUDING ROUTES CHHATTISGARH STATE

| S.No. | Name of Route | Route length in | | | No. of Single Trips | | | | Service Kms. | | Service Kms. | | No. of peri. M. P. |
|-------|---|-----------------|------|-------|---------------------|------|------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------|
| | | Kms. | | | M.P. | | M.S. | | M.P. in M.S. | | M.S. in M.P. | | |
| | | M.S. | M.P. | Total | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Akola-Indore via Khamsaon, Nandura. | 163 | 222 | 385 | 3 | 3 | 1 | 3 | 489 | 489 | 222 | 666 | 3 |
| 2 | Indore-Pune via Dhule, Manmad. | 451 | 169 | 620 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2706 | 5412 | 676 | 1014 | 12 |
| 3 | Raver-Burhanpur | 12 | 11 | 23 | 20 | 50 | 30 | 90 | 240 | 600 | 330 | 990 | 12 |
| 4 | Nagpur-Jabalpur | 83 | 193 | 276 | 22 | 40 | 12 | 28 | 1826 | 3320 | 2316 | 5404 | 20 |
| 5 | Indore-Amraoti via Burhanpur-Akola. | 279 | 222 | 501 | 2 | 4 | 2 | 2 | 558 | 1116 | 444 | 444 | 5 |
| 6 | Indore-Ajanta-Aurangabad | 251 | 222 | 473 | 2 | 2 | 2 | 2 | 502 | 502 | 444 | 444 | 3 |
| 7 | Bhopal-Nagpur via Itarsi | 62 | 303 | 365 | 8 | 10 | 2 | 2 | 496 | 620 | 606 | 606 | 10 |
| 8 | Indore-Mumbai | 441 | 169 | 610 | 4 | 14 | 2 | 6 | 1764 | 6174 | 338 | 1014 | 12 |
| 9 | Indore-Khaper via Khetia-Shahda. | 81 | 212 | 293 | 1 | 2 | 1 | 2 | 81 | 162 | 212 | 424 | 2 |
| 10 | Chhindwara-Amraoti | 109 | 109 | 218 | 2 | 4 | 1 | 2 | 218 | 436 | 109 | 218 | 4 |
| 11 | Khargone-Nandurbar via Sendhwa. | 82 | 127 | 209 | 2 | 2 | 2 | 2 | 164 | 164 | 254 | 254 | 2 |
| 12 | Chhindwara-Nagpur | 51 | 74 | 125 | 30 | 68 | 4 | 10 | 1530 | 3468 | 296 | 740 | 15 |
| 13 | Gondia-Malazkhand | 19 | 74 | 93 | 2 | 4 | 2 | 4 | 38 | 76 | 148 | 296 | 2 |
| 14 | Indore-Dhule-Shirdi | 245 | 169 | 414 | 4 | 8 | 2 | 2 | 980 | 1960 | 338 | 338 | 8 |
| 15 | Malkapur-Burhanpur | 61 | 24 | 85 | 2 | 4 | 2 | 6 | 122 | 244 | 48 | 144 | 2 |
| 16 | Indore-Parbhani via Burhanpur-Edlahbad. | 397 | 222 | 619 | 1 | 1 | 1 | 1 | 397 | 397 | 222 | 222 | 1 |
| 17 | Achalpur-Betul via Bhainsdehi | 26 | 93 | 119 | 6 | 8 | 2 | 2 | 156 | 208 | 186 | 186 | 4 |
| 18 | Paratwada-Bhainsdehi | 26 | 37 | 63 | 2 | 4 | 2 | 4 | 52 | 104 | 74 | 148 | 1 |
| 19 | Akola-Itarsi via Betul | 120 | 193 | 313 | 2 | 4 | 2 | 2 | 240 | 480 | 386 | 386 | 4 |
| 20 | Bhopal-Amraoti via Itarsi-Multa. | 104 | 248 | 352 | 2 | 4 | 4 | 4 | 208 | 416 | 992 | 992 | 4 |
| 21 | Indore-Pune via Sendhwa-Sirpur. | 439 | 169 | 608 | 2 | 2 | 2 | 2 | 878 | 878 | 338 | 338 | 2 |
| 22 | Barwani-Dhule via Sendhwa | 106 | 75 | 181 | 2 | 2 | 2 | 2 | 212 | 212 | 150 | 150 | 1 |
| 23 | Khargone-Dhule via Sendhwa | 100 | 75 | 175 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 200 | 150 | 150 | 1 |
| 24 | Ujjain-Nandurwar via Khetia | 110 | 210 | 320 | 1 | 2 | 1 | 2 | 110 | 220 | 210 | 420 | 2 |
| 25 | Ratlam-Shirdi via Dhar-Sendhwa-Dhule. | 244 | 246 | 490 | 2 | 2 | 1 | 1 | 488 | 488 | 246 | 246 | 2 |
| 26 | Betul-Paratwada via Bhainsdehi | 26 | 93 | 119 | 2 | 4 | 2 | 4 | 52 | 104 | 186 | 372 | 1 |
| 27 | Balaghat-Nagpur via Waraseoni-Katangi. | 120 | 68 | 188 | 2 | 4 | 4 | 6 | 240 | 480 | 272 | 408 | 4 |
| 28 | Malazkhand-Nagpur via Balaghat-Tumsar. | 120 | 147 | 267 | 2 | 2 | 4 | 6 | 240 | 240 | 588 | 882 | 2 |
| 29 | Indore-Dhule-Surat Guj-117 | 219 | 169 | 505 | 2 | 2 | 2 | 2 | 438 | 438 | 338 | 338 | 2 |
| 30 | Burhanpur-Surat via Chopda Guj-80. | 250 | 20 | 350 | 1 | 1 | 4 | 4 | 250 | 250 | 80 | 80 | 1 |
| 31 | Jabalpur-Nagpur-Amravati | 238 | 193 | 431 | 2 | 2 | 2 | 2 | 476 | 476 | 386 | 386 | 2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
|----------|--|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|
| 32 | Jabalpur-Yavatmal via Nagpur | 230 | 193 | 423 | 2 | 2 | 2 | 2 | 460 | 460 | 386 | 386 | 2 |
| 33 | Seoni-Nagpur via Khawasa | 83 | 45 | 128 | 2 | 8 | 4 | 18 | 166 | 664 | 180 | 810 | 3 |
| 34 | Ujjain-Mumbai via Indore-Dhule | 441 | 225 | 666 | 1 | 1 | 1 | 1 | 441 | 441 | 225 | 225 | 2 |
| 35 | Nagpur-Berdi via Sawner-Khelod-Sunsar. | 52 | 26 | 78 | 2 | 2 | 6 | 10 | 104 | 104 | 156 | 260 | 1 |
| 36 | Nagpur-Balaghat via Khawasa-Seoni-Barghat. | 83 | 167 | 250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 166 | 166 | 334 | 334 | 2 |
| 37 | Ballarpur-Jabalpur via Bhandara-Tumsar. | 220 | 277 | 497 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | 220 | 277 | 277 | 2 |
| 38 | Nagpur-Ramakona via Sawner-Kelod, Sounsor | 52 | 32 | 84 | 2 | 2 | 6 | 12 | 104 | 104 | 192 | 384 | 1 |
| 39 | Indore-Dhule | 100 | 169 | 269 | 2 | 4 | 4 | 6 | 200 | 400 | 676 | 1014 | 3 |
| 40 | Indore-Nagpur via Burhanpur-Dharni, Paratwara. | 313 | 271 | 584 | 2 | 2 | 2 | 2 | 626 | 626 | 542 | 542 | 3 |
| 41 | Pachmadi-Nagpur via Chhindwada. | 51 | 212 | 263 | 2 | 4 | 2 | 8 | 102 | 204 | 424 | 1696 | 3 |
| 42 | Chhindwada-Chandrapur via Nagpur. | 209 | 75 | 284 | 2 | 2 | 2 | 6 | 418 | 418 | 150 | 450 | 2 |
| 43 | Jabalpur-Chandrapur via Nagpur-Seoni. | 234 | 193 | 427 | 2 | 2 | 2 | 2 | 468 | 468 | 386 | 386 | 3 |
| 44 | Nagpur-Khandwa via Gudi-Sevapur. | 298 | 64 | 362 | 1 | 2 | 2 | 4 | 298 | 596 | 128 | 256 | 1 |
| 45 | Jalna-Khandwa via Edlabad | 122 | 92 | 214 | 1 | 2 | 1 | 2 | 122 | 244 | 92 | 184 | 2 |
| 46 | Ujjain-Nasik-Trimbkeshwar via Dhule. | 295 | 225 | 520 | 1 | 2 | 1 | 2 | 295 | 590 | 225 | 450 | 2 |
| 47 | Chhapara-Nagpur | 81 | 83 | 164 | 1 | 2 | 1 | 2 | 81 | 162 | 83 | 166 | 2 |
| 48 | Nagpur-Sagar | 50 | 343 | 393 | 2 | 4 | 2 | 6 | 100 | 200 | 686 | 2058 | 4 |
| 49 | Nagpur-Warod-Pandurna | 96 | 28 | 124 | 1 | 2 | 2 | 4 | 96 | 192 | 56 | 112 | 1 |
| 50 | Aurangabad-Khandwa Via Bhusaval. | 268 | 81 | 349 | 1 | 2 | 1 | 2 | 268 | 536 | 81 | 162 | 1 |
| 51 | Katol-Pandurna via Savargaon-Vadchicholi. | 27 | 27 | 54 | 2 | 6 | 2 | 4 | 54 | 162 | 54 | 108 | 2 |
| 52 | Jabalpur-Gondia via Seoni | 19 | 274 | 293 | 2 | 4 | 1 | 2 | 38 | 76 | 274 | 548 | 2 |
| 53 | Balaghat-Gondia | 19 | 24 | 43 | 6 | 18 | 4 | 10 | 114 | 342 | 96 | 240 | 4 |
| 54 | Seoni-Gondia via Balaghat | 19 | 127 | 146 | 2 | 10 | 2 | 4 | 38 | 190 | 254 | 508 | 5 |
| 55 | Khandwa-Amaravati via Dharni | 148 | 64 | 212 | 1 | 2 | 2 | 4 | 148 | 296 | 128 | 256 | 2 |
| TOTAL .. | | 8545 | 7875 | 16617 | 186 | 361 | 161 | 329 | 21478 | 38195 | 17670 | 30512 | 201 |